taking the matter seriously. I would like to know whether some connection was there which was established with the other racket, because, this matter relates to contraband currency and we cannot just leave it to a State even though the arrest might have been made by the State Police. The question is whether the Central Government has taken interest and tried to find out its connection with the other racket because, during the last year, thefts have taken place from the Museums of Delhi and Chandigarh. Now that these curios have been stolen from these two museums is there any connection of the present cases with these thefts which have taken place from Delhi and Chandigarh museums?

SHRI K. C. PANT; I think he is referring to the first question and I may say that both are under investigation and it is very difficult for me to say anything. The first one refers to transactions involving transfer of money from Singapore and Malaysia involving certain transactions between Delhi and Kashmir and possibly sale of some curios. Apparently there is no connection between these two. With regard to the museums, there is no connection.

प्रशासन सुधार आयोग के 14वें प्रतिवेदन की सिफारिशों को लागू करना

*425. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या गृह कार्य मन्त्री प्रशासन सुधार आयोग के 14वें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों को लागू करने के बारे में 27 फरवरी, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 882 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासन सुधार आयोग के 14वें प्रतिवेदन की सिफारिशों को लागू करने के लिए उन पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). चूंकि इस प्रतिवेदन की अधिकांश सिफारिशों का प्रारम्भिक सम्बन्ध राज्य सरकारों से है, अतः इस प्रतिवेदन को उनके विचारार्थ भेज दिया गया है।

श्री मोलहू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि इस प्रतिवेदन की अधिकांश सिफारिशों का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है। इसलिए उनके विचारार्थ उसको भेज दिया गया है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ किस तारीख को राज्य सरकारों के पास ये सिफारिशें भेजी गई है और उसके सम्बन्ध में आपने जो विचार-विमर्श किया उस पर उनकी प्रतिक्रिया से अवगत करायेंगे ?

श्री राम निवास मिर्धा : 14वीं रिपोर्ट जिसके सम्बन्ध में यह प्रश्न है उसका सम्बन्ध राज्य प्रशासन से है और इसकी जो मुख्य सिफारिशें हैं वह राज्य प्रशासन से सम्बन्धित हैं। अतः जब यह रिपोर्ट 4 नवम्बर, 1969 को सरकार के पास आई उसके पश्चात शीघ्र ही सारी रिपोर्ट और प्रतिवेदन राज्य सरकारों के पास उनकी टिप्पणी के लिए भेज दी गई।

श्री मोलहू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, नवम्बर, 1969 में यह रिपोर्ट राज्य सरकारों के पास भेजी गई परन्तु इतने दिनों के बाद भी राज्य सरकारों ने उसपर अपनी प्रतिक्रिया नहीं भेजी है तो केन्द्रीय सरकार इतनी असहाय क्यों खड़ी हुई है ?

दूसरी बात यह है कि प्रशासनिक सुधार आयोग के लिए भी जो निर्देश पत्र घोषित किया गया था क्या उसका विवरण मन्त्री महोदय सभा पटल पर रखेंगे और क्या यह भी बतायेंगे कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने जिन मदों पर अपनी सिफारिशें दी हैं उनके अतिरिक्त और कौन-कौन से विषय बाकी रह

गए हैं और उनको पूरा किये बगैर ही आयोग को समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : इसमें सरकार के असहाय होने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि समय-समय पर केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को लिखती रहती है कि यह रिपोर्ट जो कि मुख्यतः राज्य प्रशासन से सम्बन्धित है उसपर कार्यवाही करें और इस सम्बन्ध में पिछला पत्र जुलाई 1970 में लिखा गया।

जहां तक प्रशासनिक सुधार आयोग को समाप्त करने का प्रश्न है उस सम्बंध में मुझे केवल यही कहना है कि जो मुख्य कार्य आयोग को सौंपा गया था वह समाप्त हो गया और उसके अलावा भी आयोग ने कई और रिपोर्ट तैयार कीं। अतः यह निर्णय लिया गया कि आयोग को समाप्त कर दिया जाये क्योंकि इसका जो मुख्य कार्य था वह समाप्त हो चुका है।

श्री मोलहू प्रसाद : अभी पूरा उत्तर नहीं आया। मुख्य निर्देश पत्र में दिए गए किस किस विषय पर उन्होंने सिफारिशें दी हैं और अभी कौन से विषय बाकी रह गए हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : उनमें से केवल एक विषय बाकी रह गया है जो कि कृषि प्रशासन के सम्बन्ध में है। कृषि प्रशासन चूंकि ऐसा विषय है जो कि अभी कृषि आयोग जो मुकर्रर होने जा रहा है उससे सम्बन्धित है अतः यह उपयुक्त समझा गया कि उस पर कोई भी रिपोर्ट न तैयार की जाये। उसके अलावा जितने भी विषय आयोग को दिये गए थे अध्ययन के लिए उन सभी पर प्रतिवेदन आ चुके हैं।...(व्यवधान)...

श्री प्रेम चन्द वर्मा : मन्त्री महोदय ने कहा है कि 4 नवम्बर, 1969 को यह रिपोर्ट उनके पास आई है और उसके बाद उन्होंने राज्य सरकारों को लिखा है। मैं जानना चाहता हूं इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट जो केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को भेजी है क्या उसमें कोई समय भी निश्चित किया है कि इतने दिनों के अन्दर वे अपने विचार केन्द्र के पास भेज दें ? यदि हां, तो कितना टाइम दिया है ? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता? हजारों लाखों रुपये इन रिपोर्टों पर खर्च होते हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं क्या भारत सरकार इस सिलसिले में कोई ऐसी ठोस कार्यवाही करेगी कि भारत सरकार की तरफ से राज्य सरकारों के पास जो भी कागजात जायें या जो भी रिपोर्ट भेजी जायें उनका रेप्लाई एक निश्चित टाइम में दे दें।

श्री राम निवास मिर्धा : जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि हम समय समय पर राज्य सरकारों को इस विषय में लिखते रहते हैं और आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि जिस संवैधानिक विधि के अन्तर्गत हम काम करते हैं उसमें कई विषय ऐसे है जिनपर राज्य सरकारें ही कार्यवाही कर सकती है अतः यह कहना कि केन्द्रीय सरकार कोई समय निर्धारित कर दे जिसके भीतर राज्य सरकारें कार्यवाही कर लें—यह उचित प्रतीत नहीं होता।...(व्यवधान)...

Imposition of collective fines on areas Affected by communal riots

\+

*427. SHRI GANESH GHOSH :
SHRI MOHAMMAD ISMAIL :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is fact that her Ministry has asked the State Governments and the Union Territory Administrations to impose collective fines on any area affected by communal disturbances ;

(b) if so, whether the said directive has been sent with the concurrence of all the State Governments concerned ;

(c) whether Government agree that riots are fomented by a handful of people with an ulterior motive and that overwhelming majority of the population are innocent and become victims ;

(d) whether Government also agree that